झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ॰सं॰–8 / ज॰सं॰(नि॰)राँची–17 / 09:–.......................................राँची, दिनांक:–...........................

आदेश

श्री सजीत जॉन होरो, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 55 के तहत् विभागीय संकल्प संख्या–2678 दिनांक–25.07.09 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2) उक्त विभागीय कार्यवाही के आलोक में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री होरो से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के गहन समीक्षोपरांत विभागीय आदेश संख्या 313 दिनांक–03.02.12 द्वारा उन्हें कर्त्तव्य से अनुपस्थित अवधि दिनांक–23.03.2001 से 02.04.2010 तक को अवैतनिक गैर पेंशन प्रदायी तथा सेवा में टूट मानते हुए मात्र योगदान की तिथि (03.04.10) से वेतन भुगतान करने के निर्णय का दण्ड संसूचित किया गया।

3) श्री होरो द्वारा दिनांक– 03.05.12 को महामहिम राज्यपाल, झारखंड, राँची के समक्ष उक्त दंडादेश को रद्द करने एवं नियमानुसार आदेश पारित करने हेतु अपील आवेदन समर्पित किया।

4) श्री होरो के अपील अभ्यावेदन की विस्तृत समीक्षा विभाग द्वारा की गई समीक्षोपरांत मामले पर पुनर्विचार हेतु निम्न प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष उपस्थापित किए गए–

"चूँकि श्री सजीत जॉन होरो पर दिनांक–23.03.2001 से 02.04.2010 तक की अवधि के लिए अनियमित अनुपस्थिति, घोर अनुशासनहीनता एवं सरकारी सेवा के प्रति अरूचि के आरोप स्थापित है। अतः ऐसी स्थिति में इनके दंडादेश पर पुर्नविचार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है कि आदेश स॰–313 दिनांक–03.02.12 द्वारा निर्गत दंडादेश को यथावत् रखते हुए श्री होरो के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाए।

5) उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की सहमति प्राप्त होने के उपरांत सरकार ने श्री होरो के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश सं॰–313 दिनांक–03.02.12 द्वारा निर्गत दंडादेश को यथावत् रखने का निर्णय लिया है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:– 2086 / राँची, दिनांक:– 21/07/14

प्रतिलिपि:–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखण्ड, राँची / संयुक्त सचिव (प्र॰), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव,(प्रभारी प्रशाखा–1) जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची / श्री सजीत जॉन होरो, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ॰ लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।